

From,

Joint Director of Education,
Jhansi Division, Jhansi.

To,

Secretary,
Council for the Indian School Certificate Examinations,
47-48, NEHRU PLACE, New Delhi-110019



Letter No./2026-27

Date: 05.06.2026

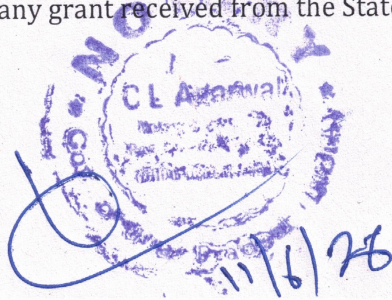
Subject: Regarding issuance of No Objection Certificate for affiliation of Suraj Gyan Modern Public School, Gandhi Nagar, Konch-Jalaun, with the Council for the Indian School Certificate Examinations, New Delhi.

Sir,

With reference to the above subject, I would like to inform you that as per Government Order No. 1916/15-7-09-1(299)/2007 dated 14.07.2009 of the Government of Uttar Pradesh, the provision has been made that institutions affiliated by the Central Board of Secondary Education and the Council for the Indian School Certificate Examinations may be issued a No Objection Certificate by the committee constituted under the chairmanship of the Divisional Commissioner of the concerned division.

In compliance with the said Government Order, a committee was constituted under the chairmanship of the Divisional Commissioner in District Jalaun regarding Suraj Gyan Modern Public School, Gandhi Nagar, Konch-Jalaun. After consideration by the committee, a No Objection Certificate is being issued to Suraj Gyan Modern Public School, Gandhi Nagar, Konch-Jalaun for affiliation with the Council for the Indian School Certificate Examinations, New Delhi, subject to the following conditions:

1. The educational standards and quality of the school shall be upgraded from time to time.
2. One member nominated by the Director of Education shall be included in the School Management Committee.
3. At least 10 percent seats in the school shall be reserved for meritorious children belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, and free education shall be provided to such children up to Class 8. No fee higher than the prescribed fee shall be charged for admission in various classes as compared to schools run by the Uttar Pradesh Board of Secondary Education.
4. The institution shall not demand any grant from the State Government. If the school already has recognition from the Uttar Pradesh Board of Secondary Education and subsequently obtains affiliation from the Council for the Indian School Certificate Examinations, New Delhi, then from the date of obtaining such affiliation, the recognition granted by the Uttar Pradesh Board of Secondary Education and any grant received from the State Government shall automatically cease.



Ankur Yadav

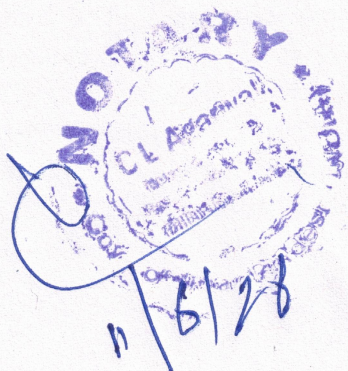
- Compliance with the above conditions shall be mandatory for the institution. If at any time it is found that the institution is not complying with these conditions or has ceased to comply with them, or any kind of negligence is observed, the No Objection Certificate issued shall be withdrawn.

(Raju Rana) ·
Joint Director of Education,
Jhansi Division, Jhansi.

Date: _____

1. Secretary, Secondary Education, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Commissioner, Jhansi Division, Jhansi.
3. District Magistrate, Jalaun at Orai.
4. Director of Education (Secondary), Uttar Pradesh, Lucknow.
5. District Inspector of Schools, Jalaun at Orai.
6. Joint Director, Secondary Education Section, Uttar Pradesh, Lucknow.
7. Manager, Suraj Gyan Modern Public School, Gandhi Nagar, Konch-Jalaun.

(Raju Rana)
Joint Director of Education,
Jhansi Division, Jhansi.



Ahmed gadao

[Handwritten signature]

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी मण्डल झाँसी।

सेवा में,

सचिव,

कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन,
47-48, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

पत्रांक/एन0ओ0सी0/

/2026-27

दिनांक- 05.06.2026

विषय:-सूरज ज्ञान मार्डन पब्लिक स्कूल गाँधी नगर कोंच-जालौन को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक-14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संस्थाओं को राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद जालौन में स्थित सूरज ज्ञान मार्डन पब्लिक स्कूल गाँधी नगर कोंच-जालौन के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त सूरज ज्ञान मार्डन पब्लिक स्कूल गाँधी नगर कोंच-जालौन को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया:-

- 1-विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2-विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3-विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे, और उनमें उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4-संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5-संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6-कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

क्रमशः पृ0सं0-02 पर

(2)

- 7-राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8-विद्यालय का रिकार्ड,निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9-उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
10-स्कूल सुरक्षा नीति वर्ष 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राजू राणा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी मण्डल झाँसी।

पृष्ठांकन सं०/एन०ओ०सी०/ 2008-15 /2026-27 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-सचिव,माध्यमिक शिक्षा,उ०प्र०,शासन,लखनऊ।
- 2-आयुक्त महोदय झाँसी मण्डल झाँसी।
- 3-जिलाधिकारी महोदय जालौन स्थान उरई।
- 4-शिक्षा निदेशक(मा०)उ०प्र०,लखनऊ।
- 5-जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन स्थान उरई।
- 6-निरीक्षक,आंग्ल भाषा विद्यालय,उ०प्र०,लखनऊ।
- 7-प्रबन्धक, सूरज ज्ञान मार्डन पब्लिक स्कूल गाँधी नगर कोंच-जालौन।

राजू राणा

(राजू राणा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी मण्डल झाँसी।